

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	19/11/22	<p>पत्रावली चेन्नई। वकील वादी अनुपास्थित।  वादी स्वयं भी अनुपास्थित। न्यायालय  अदालत में बार-बार आवाजे लगावाई  गई परन्तु ना तो वकील स्वयं  उपस्थित हुए ना ही वादी के वकील  उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद  अदालत दायिरी अदालत पेंचनी में  स्वार्थिज प्रजापता जाता है।  पत्रावली नाक से कत धेर  दाखिल कराकर है।</p>	